HIDAYATULLAH NATIONAL LAW UNIVERSITY

FINANCE COMMITTEE MEETING DATED 25.10.2008

INDEX

Sl.	Particulars	Annexure No.	Page No.
1.	Agenda for the Finance Committee meeting dated 25.10.2008		1
2.	Notes on Agenda for the Finance Committee meeting dated 25.10.2008		2
3.	Audit reports of audit carried out by Local Fund Audit for the F.Y. 2004-05, 2005-06, 2006-07 and 2007-08	A-1	3-29
4.	Bar charts showing expenditure on repairs and maintenance on vehicles.	A-2	30-34
5.	Mileage of vehicles.	A-3	35
6.	Statement showing W.D.V. value of vehicles	A-4	36

TENTATIVE AGENDA FOR THE FINANCE COMMITTEE MEETING DATED 25.10.2008

1. Placing before the Finance Committee audit reports for audit carried out by Local Fund Audit for the financial years 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08.

2. Discussion and decision regarding replacement of old vehicles with new vehicles.

3. Discussion and decision regarding disposal of old furniture.

4. Any other matter with the permission of the chair.

NOTES ON TENTATIVE AGENDA FOR THE FINANCE COMMITTEE MEETING DATED 25.10.2008

1. **Placing before the Finance Committee audit reports for audit carried out by Local Fund Audit for the financial years 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08.**

Notes:

The office of Accountant General had conducted Special Audit of accounts for the F.Y. 2003-04 and submitted interim audit. Subsequently, the audit of accounts of the University has been regularly carried out by internal auditors. The General Council in its meeting dated 09.09.2006 was of the view that internal audit should be completed apart from audit by Director Local Fund Audit.

Accordingly, repeated requests were made to the Director Local Fund Audit. This year, Local Fund Audit has carried audit of accounts of the University for the financial years 2004-05, 2005-06, 2006-2007, 2007-2008. These reports were placed before the Executive Council in its meeting dated 02.10.2008. The Executive Council decided that the audit reports should first be placed before the Finance Committee.

Accordingly, the audit reports (Annexure No. A-1, page Nos.3-29) are placed before the Finance Committee for perusal/comments.

2. **Discussion and decision regarding replacement of old vehicles with new vehicles.**

Notes:

The University is having two Buses, One Bolero jeep and two cars. Bolero jeep has met with an accident in the year 2004; one bus has met with an accident in December 2007 and the other bus twice met with accidents in the year 2007 & 2008.

Inspite of their heavy repairs quite often they are undergoing repairs. Enclosed are bar graphs showing expenditure on repairs and maintenance on vehicles. (Annexure No. A-2, page Nos.30-34). During the F.Y. 2007-2008, a lot of expenditure has been incurred on the repairs and maintenance of these vehicles. The average petrol consumption of these vehicles is very high (Annexure No. A-3, page Nos.35). Looking to the monthly expenditure and maintenance cost, it is proposed that we may auction the vehicles and purchase new vehicles/exchange the vehicles during this festive season subject to good offers.

It is therefore proposed that the existing vehicles may be auctioned and new vehicles may be purchased/exchanged in lieu thereof. The matter is placed before the Finance Committee for approval/ recommendations.

3. **Discussion and decision regarding disposal of old furniture.**

Notes:

In the last finance committee meeting dated 04.08.2007, a decision was taken to provide one month's salary in lieu of furnishing. Whatever furnishing we have already provided to our teachers, the maintenance of these furnishing and arranging furnishing for rest of the teachers and employees is creating a lot of problems. Finally, we are not in a position to cater the need. It is therefore proposed to consider that we may give option of purchasing this furniture on depreciated cost as per norms so that in future we may not face such problems.

4. **Any other matter with the permission of the chair.**

कार्यालय उप संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा रायपुर (छ0ग0)

(शास्त्री चौक, नत्थानी भवन, मंत्रालय के सामने, पोस्ट बैग नंबर –04 दूरभाष कं.-2229657)

क्र./डी.डी.एल.ए.आर./प्रति.–1/08/ 2634 रायपुर दिनांक 27-8-08

कुलपति/कुल सचिव, हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि वि.वि. रायपुर की ओर वर्ष 2004–05 से 2007–08 का अंकेक्षण प्रतिवेदन भाग एक संलग्न प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया अंकेक्षण प्रतिवेदन कार्य परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करने के पश्चात् अपने उत्तर सहित पालन प्रतिवेदन अंकेक्षण प्रतिवेदन प्रसारित दिनांक से चार माह के अन्दर सचिव, उच्च शिक्षा अनुदान विभाग रायपुर के माध्यम से इस कार्यालय को भेजने की व्यवस्था करें।

1. कृपया प्रत्येक अनुच्छेद कमांक के समक्ष स्थानीय प्रभारी अधिकारी के उत्तर के लिये जो स्थान है वहीं दिया जावें।
2. छ.ग. स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम 1973 की धारा 10(1) के अनुसार कार्य परीषद् के संकल्प की प्रति पालन प्रतिवेदन के अनुसार प्रेषित की जावें।
3. अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्राप्ति से कृपया आगामी डाक द्वारा सूचित करने का कष्ट करें।

(बी.एस.भगत)
उपसंचालक
स्थानीय निधि संपरीक्षा
रायपुर छ.ग.

क्र./डी.डी.एल.ए.आर./प्रति.–1/08/ रायपुर दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, उच्च शिक्षा मंत्रालय छ.ग. शासन रायपुर।
2. सचिव, यू.जी.सी. नई दिल्ली।
3. आयुक्त, स्थानीय निधि संपरीक्षा छ.ग. रायपुर।
4. अधिभार एंव अनुदान कक्ष क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर।

(बी.एस.भगत)
उपसंचालक
स्थानीय निधि संपरीक्षा
रायपुर छ.ग.

संपरीक्षा प्रतिवेदन भाग–एक
हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्व विद्यालय
रायपुर (छ.ग.)
वर्ष 2004–05 से 2007–08

परिचायक –

(1) वर्तमान संपरीक्षा की अवधि – 12.05.08 से 05.06.08

(2) विगत संपरीक्षा की अवधि – प्रथम अंकेक्षण

(3) वर्तमान संपरीक्षा की वित्तीय वर्ष – 2004–05 से 2007–08

(4) पदाधिकारीगण

(1) कुलपति – (1) प्रो. जोरा पी. वर्गीस
दिनांक 01.04.2004 से 08.11.2004
(2) श्री पंकज द्विवेदी (विशेष अधिकारी)
दिनांक 08.11.2004 से 09.06.2005
(3) प्रो. एम. के. श्रीवास्तव
दिनांक 09.06.05 से 31.03.08

(2) कुलसचिव – (1) डॉ. एस.के. वर्मा
दिनांक 01.04.2004 से 13.08.2004
(2) श्री जी.एस. वर्मा
दिनांक 01.11.2004 से 31.08.2005
(3) श्री एम.के. ठाकरे
दिनांक 01.09.05 से 31.03.2008

(5) सीनियर ऑडिटर – गोंविन्द सिंह

(6) प्रतिवेदन की पृष्ठ संख्या – 28

(7) प्रतिवेदन में उत्थापित महत्वपूर्ण कंड़िकाओं का क्रमांक – 5,6,7,8,9,10,11,13, 14,15,17

(8) अधिभार योग्य आक्षेपो की कंडिका क्र.

(i) संचालक के क्षेत्रान्तर्गत – निरंक

(ii) संयुक्त संचालक के क्षेत्रान्तर्गत – निरंक

(iii) उप संचालक के क्षेत्रान्तर्गत – निरंक

(iv) सहायक संचालक के क्षेत्रान्तर्गत – निरंक

1. प्रस्तावना – विधि के क्षेत्र में तथा विधि विज्ञान से सम्बन्ध अध्ययन अध्यापन तथा शोध की उन्नति और ज्ञान के प्रसार तथा समाज की आवश्यक्ता के अनुरूप राष्ट्रीय तथा अन्तराष्ट्रिय ख्याति प्राप्त कुशल विधि व्यवसायी तैयार करना, अधिक्ता व्यवसाय के आशायित न्यायिक सेवा, विधि अधिकारी प्रबन्धन तथा विधायन प्रारूपकार इत्यादि में रूचि रखने वालों को प्रशिक्षित करने तथा उससे अनुषंगिक विषयो के प्रयोजनो के लिए ही "हिदायतुल्ला विधि विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ अधिनियम 2003 द्वारा हिदायतुल्ला विधि विश्व विद्यालय की स्थापना की गई । अधिनियम के अनुसार विश्व विद्यालय की स्थापना का पूँजीगत व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जावेगा। स्थापना दिवस 1 जुलाई 2003 से मार्च 2004 तक की अवधि का अंकेक्षण महालेखाकार कार्यालय द्वारा किया जा चुका है विभाग का यह प्रथम अंकेक्षण है ।

2. बजटः–

(1) वर्ष 2004–05 – वर्ष 2004–05 का बजट निर्धारित प्रकिया का पालन किया जाकर तैयार नही किया गया था । संस्था द्वारा आय का बजट प्राकलन तैयार नही किया गया था हिदायतुल्ला राष्ट्रिय विधि विश्वविद्यालय अधिनियम 2003 के धारा 15 अनुसूवि परिनियम 17(3) के अनुसार विश्वविद्यालय के वार्षिक बजट वित्त समिति द्वारा परीक्षण तथा परी–निरिक्षण किया जाकर कार्यपालक परिषद से अनुशंसा प्राप्त किया जाना था जिसका अभाव पाया गया वर्ष 2004–05 के अनुमानित एवं वास्तविक आय व्यय के आंकड़े निम्नानुसार रहा –

	अनुमानित	वास्तविक
आय		2,53,11397.00
व्यय	2,19,70,000.00	2,62,29,318.00

वि.वि. द्वारा इसके अतिरिक्त राशि रूपये रूपये 5.30 लाख अतिरिक्त व्यय, रूपये 25 करोड़ नवीन कार्यालय भवन निर्माण हेतु पृथक से प्रस्तावित किया जाकर, शासन से मांग ली गई थी । वास्तविक आय से वास्तविक व्यय अधिक होने के संबंध में अवगत कराया गया कि नवीन कार्यालय भवन निर्माणकर्ता को 32.00 लाख अग्रिम भुगतान किया गया था । निकाय द्वारा पृथक से संक्षिप्त आय–व्यय पंजी मदवार निर्धारित नही किया गया था ।

(2) वर्ष 2005--06 -- वित्तीय वर्ष 2005--06 में भी बजट निर्धारित प्रकिया का पालन किया जाकर तैयार नही की गई थी । उपलब्ध अभिलेखो के आधार पर अनुमानित एवं वास्तविक आय–व्यय के आंकड़े निम्नानुसार थे ।

	अनुमानित	वास्तविक
आय		13,40,35,450.00
व्यय	3388,00,000	1,28,22,458.00

अनुमानित आय का बजट तैयार नही किया गया था विश्वविद्यालय के नवीन भवनव निर्माण हेतु 30.00 करोड़ रूपये प्रस्तावित किया गया था जिसमें से 10.00 करोड़ रूपये नही प्राप्त हो सके ।

(3) वर्ष 2006–07– वित्तीय वर्ष 2006–07 का बजट निर्धारित प्रकिया का पालन किया जाकर तैयार किया गया था वि.वि. वित्त समिती की बैठक दिनांक 21.08.06 के कंड़िका कमांक 02 द्वारा वर्ष 2006–07 का बजट अनुमान स्वीकृत किया जाकर वि.वि. कार्यपालिका परिषद के बैठक दिनांक 26.01.07 के कंड़िका कमांक 05 द्वारा अनुशंसा प्राप्त किया गया था । अनुमानित एवं वास्तविक आय व्यय के आकड़ें निमानुसार था –

	अनुमानित	वास्तविक
आय	2,47,27,000.00	20,91,14,874.00
व्यय	47,18,10,000.00	14,64,61,830.00

अनुमानित आय में केवल विश्वविद्यालय के स्वयं के स्त्रोत से प्राप्त आय दर्शित आय किया गया था शेष राशि छ.ग. शासनस से मांग की गई थी ।

(4) वर्ष 2007–08– वित्तीय वर्ष 2007–08 का बजट अनुमानित वि.वि. वित्तसमिती की बैठक दिनांक 07.03.2007 के कंडिका कमांक 03 द्वारा स्वीकृत किया जाकर, वि.वि. कार्यपालिका परिषद की बैठक दिनांक 12.05.07 के कंडिका कमांक 03 द्वारा अनुशंसा प्राप्त किया गया था अनुमानित एवं वास्तविक आय–व्यय के आंकडें निम्नानुसार थां

	अनुमानित	वास्तविक
आय	8,00,67,882.00	28,39,05,881.00
व्यय	70,50,67,882.00	20,67,00,372.00

नवीन भवन निर्माण एवं अन्य इक्यूपमेंन्ट हेतु रूपये 62,50,00,000/--पृथक से शासन से मांग की गई थी व्यय में विभिन्न वर्षो में विनियोजित राशि को सम्मिलित नही किया गया है ।

(3) **विनियोजन** – अंकेक्षण के दौरान भौतिक सत्यापन में पाया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा अपने बचत आय को ब्याज अर्जन को दृष्टिगत रखते हुए इलाहबाद बैंक एवं पंजाब नेशनल बैंक में स्थाई जमा के रूप में राशि रूपये 24,16,81,457.00 विनियोजित किया गया था ।

4. बैंक समाधान विवरण – अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा अंकेक्षित अवधि का बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाकर केशबुक शेष का मिलान किया गया था अंकेक्षण के दौरान प्राप्त आय–एवं निर्गमित चैक का अनुरेखण किया गया ।

(1) केशबुक के अनुसार 31 मार्च 08 को शेष	1,91,31,168.00
+ निर्गमित धनादेश जो बैंक में प्रस्तुत नही	42,54,149.00
+ बैंक में सीधे जमा एवं बैंक द्वारा केडिट	67,607.00
योग	2,34,52,924.00
(–) निक्षिप्त धनादेश जो बैंक में केडिट नही	40,975.00
(–) बैंक चार्ज भारित जो केशबुक में नही	8,874.00
(2) 31 मार्च 2008 को बैंक स्टेटमेंन्ट के अनुसार शेष	2,34,03,075.00

विश्वविद्यालय द्वारा अंकेक्षित अवधि का आंतरिक अंकेक्षक से अंकेक्षण से कराया गया था ।

(5) श्री सत्येन्द्र कुजुर सहायक से राशि रूपये 10,612.00 की वसूली अपेक्षित

अंकेक्षण के दौरान भुगतान प्रमाणको के परिक्षण में पाया गया कि विश्वविद्यालय के वाहनो में इंधन व्यवस्था हेतु श्री कुजुर द्वारा स्लीप जारी किया जाता था जिसके आधार पर अनुपम आटो सर्विस रायपुर द्वारा विश्वविद्यालय के वाहनों में ईधन प्रदाय किया जाता था । दिनांक 01.11.2004 को मेसर्स अनुपम आटो सर्विस रायपुर को ईधंन प्रतिपूर्ति की राशि रूपये 38,306/– भुगतान किया गया। देयक एवं संलग्न स्लीप के परीक्षण में पाया गया कि श्री कुजुर द्वारा अपने स्वयं के वाहन कमांक सी.जी. 04 बी – 8379 (मारूति आल्टो) में भी विश्वविद्यालय निधि से 280 लीटर ईधंन (पेट्रोल) प्राप्त किया जाकर निजी उपयोग किया गया । विवरण निम्नानुसार है ।

1. स्लीप कमांक	9105	दिनांक 26.08.2004	30 लीटर
2. स्लीप कमांक	9109	दिनांक 31.08.2004	30 लीटर
3 स्लीप कमांक	9116	दिनांक 09.09.2004	30 लीटर
4. स्लीप कमांक	9119	दिनांक 12.09.2004	30 लीटर
5. स्लीप कमांक	9122	दिनांक 15.09.2004	30 लीटर

6. स्लीप कमांक	9125	दिनांक 18.09.2004	25 लीटर
7. स्लीप कमांक	9202	दिनांक 21.09.2004	30 लीटर
8. स्लीप कमांक	9205	दिनांक 24.09.2004	30 लीटर
9. स्लीप कमांक	9210	दिनांक 28.09.2004	30 लीटर
10. स्लीप कमांक	9211	दिनांक 30.09.2004	15 लीटर
			280 लीटर
			दर 37.90 प्रति लीटर

वसूली योग्य राशि – 10612.00

इस प्रकार श्री कुजुर द्वारा अपने अधिकारो का दुरूपयोग करते हुए विश्वविद्यालय निधि से स्वयं के वाहन में 280 लीटर ईधंन का उपयोग किया जाकर राशि रूपये 10612/– की आर्थिक क्षति पहुँचाई गई । अतः आर्थिक क्षति की राशि रूपये 10612/– श्री कुजुर से वसूल किया जाना अपेक्षित है ।

(2) उक्त अवधि के वाहनो के लागबुक भी परीक्षण हेतु प्रस्तुत नही किया गया जिससे प्रदाय की गई ईधंन का विश्व विद्यालय हित में परीक्षण किया जा सके ।

(पत्र कमांक 26 दिनांक 03.06.08 द्वारा आक्षेप प्रसारित किया गया ।)

6. **भुगतान संदिग्ध** – वित्तीय वर्ष 2004–05 के भुगतान प्रमाणको के परिक्षण में पाया गया कि दिनांक 30.10.2004 को तीर्थ कुमार स्वामी को वाहन किराया (जून 04 से सितम्बर की अवधि के लिए राशि रूपये 75000/– भुगतान किया गया । जिसमें निम्नानुसार स्थिति अस्पष्ट रही

(1) प्रस्तावित भुगतान के समर्थन में बिल/ स्वीकृति/ कार्यदेश एवं मांग पत्र सलग्न किया जाना नही पाया गया ।

(2) उक्त वाहन किस उद्येश्य से किराये पर लिया गया था एवं वाहन का उपयोग किसके द्वारा किया गया ।

(3) वाहन किराये निर्धारण का आधार क्या था ? वाहन किराया मासिक था या घंटे के आधार पर था स्थिति अस्पष्ट रही ।

(4) वाहन का उपयोग विश्वविद्यालय कार्यो हेतु किया गया या अन्य उद्येश्य से ।

उक्त बिन्दुओं की स्थिति अस्पष्ट होने एवं भुगतान के समर्थन में कोई भी अभिलेख उपलब्ध नही कराये जाने से भुगतान संदिग्ध भुगतान की श्रेणी में रखा गया । औचित्यपूर्ण अभिलेख के अभाव में भुगतान राशि स्वीकृति । भुगतानकर्ता प्रधिकारी से वसूली योग्य है ।

(2) दिनांक 20.09.2004 को श्री आनंदकुमार को रूपये 16123.00 एवं श्री संजय कुमार पोतदार को रूपये 3390/– एयर टिकिट के रूप में डी.डी. द्वारा भुगतान किया गया । उक्त भुगतान किस उद्येश्य से किया गया, उक्त पक्षो का विश्वविद्यालय में प्रवास का क्या उद्येश्य था, के समर्थन में कोई भी अभिलेख उपलब्ध नही कराया गया केवल भुगतान प्रमाणक भी संलग्न पाया गया । फलस्वरूप भुगतान का उद्येश्यो एवं प्रकृति स्पष्ट न होने से भुगतान संदिग्ध प्रतीत होता है जो वसूली योग्य है ।

उपरोक्त (1) एवं (2) के भुगतान स्वयं जोश पी. वर्गीस कुलपति द्वारा अपने स्वयं के खाते से किया गया था जिसे बाद में विश्वविद्यालय निधि से प्रतिपूर्ति की गई ।

(पत्र कमांक 26 दिनांक 03.06.08 द्वारा आक्षेप जारी किया गया)

7. भुगतान का आधार एवं औचित्य अस्पष्ट :– अंकेक्षण के दौरान भुगतान प्रमाणको के परीक्षण में पाया गया कि दिनांक 16.04.04 को राशि रूपये 8100.00 चार फेकल्टी को मानदेय के रूप में भुगतान किया गया । विवरण निम्नानुसार है ।

(1) श्री राजीव एस.एस. दिनांक 04.04.04 से 14.04.04 11 दिवस दर 300 प्रतिदिन	3300.00
(2) श्री डिमापेल मोहन दिनांक 05.04.04 से 14.04.04 10 दिवस दर 300 प्रतिदिन	3000.00
(3) श्री एल. पुष्पकुमार दिनांक 10.04.04 से 12.04.04 03 दिवस दर 300 प्रतिदिन	900.00
(4) श्री एस.शांताकुमार दिनांक 10.04.04 से 12.04.08 03 दिवस दर 300 प्रतिदिन	900.00
	8100.00

(I) मानदेय की राशि रूपये 300/– प्रतिदिन भुगतान किये जाने के संबंध में वित्त समिति अथवा कार्यपरिषद की स्वीकृति / अनुमोदन अपेक्षित रहा ।

(II) उपरोक्त पक्षो को मानदेय की राशि किस उद्येश्य से भुगतान किया गया , के समर्थन में कोई भी अभिलेख उपलब्ध नही कराया गया । जिससे भुगतान की सार्थकता प्रमाणित हो सके ।

(2) वित्तीय वर्ष 2004–05 में दिनांक 16.07.2004 को प्रो. बी.बी. पाण्डेय को 12 जुलाई 04 से 16 जुलाई 2004 तक की यात्रा हेतु रूपये 16060/– एयर टिकिट एवं रूपये 6400/– मानदेय के रूप में भुगतान किया गया ।

(3) दिनांक 22.07.2004 को प्रो. एम.पी. सिंह को 20.07.04 से 24.07.2004 तक की अवधि में प्रवास हेतु राशि रूपये 16060/– एयर टिकिट एवं राशि रूपये 10000/– महंगाई भत्ता एवं अन्य के नाम से भुगतान किया गया ।

कंड़िका (2) एवं (3) के भुगतान में निम्नांकित बिन्दु अस्पष्ट रही–

(I) प्रो. बी.बी. पाण्डेय एवं प्रो.एम.पी. सिंह का विश्वद्यालय में प्रवास का प्रयोजन क्या था अस्पष्ट रहा ।

(II) प्रो. बी.बी. पाण्डेय को दिनांक 12.07.2004 से 16.07.04 तक 05 दिवस हेतु मानदेय रूपये 6400/– का भुगतान का आधार क्या था ?

(III) प्रो. एम.पी. सिंह को दिनांक 20.07.04 से 24.07.04 तक 05 दिवस हेतु मंहगाई भत्ता एवं अन्य रूपये 10000/– भुगतान का आधार /मान क्या था ?

सामान्य वित्तीय निम्नानुसार सभी प्रकार के कार्यो जैसे – यात्रा मानदेय पेपर मूल्यांकन, मुड कोर्ट आदि कार्यो हेतु वित्त समिति द्वारा मानदेय निर्धारित किया जाकर विश्व विद्यालय कार्य परिषद से अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त किया जाकर, निर्धारित दर से मानदेय भुगतान किया जाता था । परन्तु पूर्व कुलपति प्रो. जोश पी. वर्गीस द्वारा बगैर किसी आधारके अलग–अलग पक्षों को अलग–अलग दर से मानदेय भुगतान किया गया । भुगतान में वित्तीय मानक सिद्धातों का पालन किया जाना नही पाया गया अलग–अलग दर से मानदेय भुगतान के समर्थन में वांछित अभिलेख, अंकेक्षण द्वारा पत्रक कमांक 26 दिनांक 03.06.08 एवं पत्र कमांक 27 दिनांक 04.06.08 द्वारा मांग किया गया, परन्तु मानदेय भुगतान के समर्थन में कोई भी अभिलेख उपलब्ध नही कराया गया । ऐसी स्थिति में भुगतान की गई राशि के समर्थन में वांछित अभिलेख उपलब्ध नही कराये जाने से, उक्त राशि उत्तरदायी पक्ष से वसूली योग्य है ।

8. बालक छात्रावास हेतु भवन कय की कार्यवाही न्यायोचित नही –

अंकेक्षण के दौरान परीक्षण में पाया गया कि हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्व विद्यालय रायपुर द्वारा जीवन विहार कालोनी तेलीबांधा रायपुर में राशि रूपये 1.51 करोड़ की लागत से बालक छात्रावास भवन कय हेतु दो अनुबन्ध निष्पादित किये गये (पहला 15 जनवरी 2004 एवं दूसरा 11 फरवरी 2004 को) एवं अनुबन्ध के अनुसार दिनांक 22.09.2004 को रूपये 95000/– सुरक्षा निधि तथा राशि रूपये 221.85 लाख अग्रिम बतौर भुगतान किया गया । प्रथम अनुबन्ध में यह शर्त रखी गई थी कि शेष राशि का भुगतान तीन माह के भीतर कर दिया जावेगा । अनुबन्ध दिनांक 11 फरवरी 2004 में यह उल्लेख किया गया था कि यदि तीन माह के भीतर शेष राशि का भुगतान नही किया जात है, तो अग्रिम में दी गई राशि 23 माह का किराया मान लिया जावेगा ।

(2) विश्वविद्यालय परिसर निर्माण कार्य, जिसमें बालक छात्रावास भी सम्मिलित है, मेसर्स नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कम्पनी हैदराबाद को कार्यादेश प्रदाय किया गया था । यह प्रोजेक्ट 14 माह अर्थात जुलाई 2005 तक पूरा होना संभावित है, जैसा कि कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 04.07.2004 के संकल्प 16 में उल्लेखित है । इसको दृष्टिगत रखते हुए भवन कय युक्तियुक्त प्रतीत नही होता । इसके बजाय भवन किराये पर लिया जाना उचित था । कय की कार्यवाही में निम्नाकिंत अनियमितांए पाई गई ।

(1) कय अनुबन्ध निष्पादन के पूर्व आवश्यक्ता का अनुमान नही किया गया ।

(2) भवन का शासकिय मूल्यांकन कर्ताओं द्वारा मूल्यांकन नही कराया गया था । नेगोशियेशन एवं राशि रूपये 1.51 करोड़ मूल्यनिर्धारण से संबधित कोई भी दस्तावे नहीं पाया गया ।

(3) भवन की मजबूती/गुणवत्ता का किसी तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा जांच कराया जाना नही पाया गया ।

(4) अनुबन्ध दिनांक 11.02.04 की कंड़िका 01 के अनुसार भवन के कय मूल्य भुगतान नही करने की स्थिति में राशि रूपये 21.85 लाख को माह दिसम्बर 2003 से नवम्बर 2005 तक की अवधि का रूपये 95000/– प्रतिमाह की दर से अग्रिम किराया मान लिया गया इस किराये का निर्धारण कलेक्टर (भाडा नियंत्रक) रायपुर से निर्धारित नही कराया गया ।

(5) भवन कय हेतु बगैर धन की व्यवस्था किये विश्वविद्यालय द्वारा कय अनुबन्ध निष्पादित किया गया फलस्वरूप बिना ब्याज के राशि रूपये 21.85 लाख भुगतान करने हेतु बाध्य होना पड़ा जिससे विश्व विद्यालय में ओवरड्राफ्ट की स्थिति निर्मित हो गई ।

(6) अग्रिम राशि रूपये 21.85 लाख पर देय ब्याज के संबंध में अनुबन्ध में कोई कंडिका सम्मिलित न किये जाने से भवन स्वामी को विश्व विद्यालय द्वारा अनाधिकृत लाभ प्रदान किया गया ।

(7) भववन कय के अनुबन्ध निष्पादन के पूर्व अधिनियम में प्रावधानुसार कार्य परिषद से अनुमोदन प्राप्त किया जाना था इससे संबधित अभिलेख उपलब्ध नही कराया गया ।

कय अनुबन्ध में निर्धारित समयावधि में कय की निर्धारित राशि भुगतान नही किया जा सका फलस्वरूप अग्रिम भुगतान रूपये 21.85 लाख का किराये में समायोजन किया गया इस प्रकार की कार्यवाही कदापि न्यायोचित नही था ।

अतएव उपरोक्त अनियमितताए वि.वि. प्रशासन के ध्यान में लाई जाती है ।

9. शेड निर्माण एवं एल्यूमिनियम पार्टेशन कार्य में निर्माण कार्य नियमों का पालन न किया जाना :–

अंकेक्षण के दौरान वर्ष 2004–05 के भुगतान प्रमाणको के परिक्षण में पाया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान परिसर में दो शेड़ निर्माण एवं एल्युमिनियम पार्टेशन द्वारा केबिन निर्माण का कार्य कराया गया । निमाण कार्य में, निर्माण कार्य मेन्यूवल तथा निर्माण कार्य से सामान्य निर्देशो का पालन नही किया गया । विश्व विद्यालय द्वारा बगैर प्रॉकलन एवं निविदा आमंत्रण के ही निर्माण कार्य कराया गया । जबकि निर्माण कार्य में निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना चाहिए था

(1) कराये जाने वाले निर्माण कार्य का नक्शा तैयार कर, उसके आधार पर प्राकलन तैयार किया जाकर तकनीकी एवं प्रशासनीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना चाहिए ।

(2) कार्य सम्पादन हेतु निविदा आमंत्रित किया जाकर, न्यूनतम निविदा दर, निविदा समिति के अनुशंसा पश्चात् संबधित पक्ष से अनुबन्ध निष्पादित किया जाकर कार्यादेश जारी किया जाना चाहिए ।

(4) कराये गये कार्य की माप प्रॉकलन, नक्शा को दृष्टिगत रखते हूए माप पुस्तिका में दर्ज किया जाना चाहिए ।

(5) कार्य पूर्ण होने पर एस.ओ.आर. प्रमात्रा के अनुसार गुणवत्ता का परीक्षण किया जाकर, ही नियमानुसार टी.डी.एस. एवं सी.टी. कटौती की जाकर भुगतान की कार्यवाही किया जाना चाहिए ।

विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कराये गये निर्माण कार्य में उपरोक्त बिन्दुओ का पालन नही किया गया फलस्वरूप तुलनात्मक दरो के लाभ से वंचित होना पड़ा । कराये गये निर्माण कार्य का विवरण निम्नानुसार है –

(1) भुगतान दिनांक 28.06.04 श्री विसनाथ कुर्रे शेड निर्माण रू 3,55,399.00

(2) भुगतान दिनांक 09.07.04 श्री विसनाथ कुर्रे शेड निर्माण रू 5,01,040.00

(3) भुगतान दिनांक 19.06.04 श्री विनित गुप्ता 2 केबिन निर्माण 278.25 SFT दर 145/–

2 कक्ष निर्माण 157.43 SFT दर 145/–

= 63199.00

(4) भुगतान दिनांक 13.07.04 श्री विनित गुप्ता पेनल रूम निर्माण 1 नग एवं क्लास रूम टॉप सिलिंग विद्युतकार्य 75056.00

उपरोक्त बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए भविष्य में निर्माण कार्य कराया जाना विश्व विद्यालय के आर्थिक हित में होगा ।

10. किराये पर लिए गये भवनों के किराया निर्धारण में सामान्य वित्तीय नियमों का पालन नही किया जाना – अंकेक्षण के दौरान भवन किराया नस्तियों के परीक्षण में पाया गया कि विश्व विद्यालय द्वारा आवश्यक्ता को दृष्टिगत रखते हुए विद्यार्थीयों के हास्टल एवं संकाय सदस्यों हेतु निजी भवन किराये पर ली गई थी । किराये पर ली गई भवनों के, किराया निर्धारण के समय विश्व विद्यालय के आर्थिक हितों को दृष्टिगत रखते हए नियमानुसार कार्यवाही किया जाना नही पाया गया ।

(1) प्रथमतः किराये पर ली जाने वाली भवनो का नक्शा तथा निर्मित क्षेत्र के आधार पर कलेक्टर (भाडा नियंत्रक) रायपुर से किराये के भवनो का किराया निर्धारित कराया जाना नही पाया गया ।

(2) वित्तीय वर्ष 2004–05 में किराये पर ली गई भवनो के किराया निर्धारण में भवन स्वामी से किराये संबध में निगोशियेशन किया जाना नस्ती में दृष्टिगत नही हुआ ।

इस संदर्भ में विश्व विद्यालय प्रशासन द्वारा अवगत कराया गया कि कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर पर कौई भी भवन स्वामी किराये पर भवन देना नही चाहता है । एवं विश्व विद्यालय में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं हेतु सुरक्षित छात्रावास उपलब्ध कराया जाना, एवं सुव्यवस्थित अध्ययन व्यवस्था हेतु तत्कालीन रूप से भवन किराये पर लिया जाना आवश्यक था । परन्तु उपरोक्त परिस्थिति

को दृष्टिगत रखते हुए भी आर्थिक हित के तहत् किराये निर्धारण में निगोशिएशन की कार्यवाही किया जाना था जो नही किया गया । भविष्य में उपरोक्तानुसार कार्यवाही किया जाना विश्व विद्यालय को आर्थिक हित में होगा ।

"हितायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्टाफ रेग्युलेशन 2005" बनाए जाने पर संकाय सदस्यों को रेग्युलेशन में निर्धारित पात्रता एवं दर से किराये कर भुगतान किया जा रहा है ।

11. अजय ट्रेवल्स को ओपन एयर टिकिट का रूपये 215025/– का भुगतान संदिग्ध –

वित्तीय वर्ष 2004–05 के भुगतान प्रमाणको के परीक्षण में पाया गया कि प्रो. जोश पी. वर्गीस पूर्व कुलपति के नाम से विभिन्न तिथियों में ओपन एयर टिकिट कय किया जाकर अजय ट्रेवल्स रायपुर को रूपये 215025/– भुगतान किया गया विवरण निम्नानुसार है–

(1) बिल कमांक 8660	दि. 05.05.04	राशि रूपये 44176.00	भुगतान तिथि	19.05.2004
(2) बिल कमांक 8885	दि. 11.06.04	राशि रूपये 24096.00	भुगतान तिथि	21.06.2004
(3) बिल कमांक 8923	दि. 17.06.04	राशि रूपये 44176.00	भुगतान तिथि	21.06.2004
(4) बिल कमांक 9073	दि. 16.07.04	राशि रूपये 44176.00	भुगतान तिथि	20.07.2004
(5) बिल कमांक 8760	दि. 21.05.04	राशि रूपये 14176.00	भुगतान तिथि	20.07.2004
(6) बिल कमांक 9581	दि. 22.10.04	राशि रूपये 44225.00	भुगतान तिथि	30.10.2004
		योग 215025.00		

उपरोक्त समस्त ओपन टिकिट प्रो. जोश पी. वर्गीस पूर्व कुलपति के नाम से ली गई थी । परन्तु देयक के साथ मात्रा टिकिट, यात्रा का विवरण आदि यात्रा के समर्थन में कोई भी अभिलेख संलग्न नही पाया गया । मांग करने पर भी उक्त टिकिटो के विरूद्ध की गई यात्रा का ब्यौरा ही उपलब्ध कराया गया । फलस्वरूप भुगतान की स्थिति संदिग्ध रही उपरोक्त ओपन टिकिट के विरूद्ध की गई यात्रा के संदर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करने तथा आवश्यक अभिलेख यात्रा टिकिट आदि उपलब्ध कराया जावे अन्यथा स्थिति में भुगतान की गई राशि संबधित पक्षकार से वसूली योग्य होगी ।

(पत्र कमांक 26 दिनांक 03.06.08 द्वारा आक्षेप जारी)

12. कय की गई ए.सी. की गुणवत्ता सत्यापन अपेक्षित –

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मेसर्स नरेश मार्केटिंग रायपुर से 06 नग ए.सी. एल.जी. कम्पनी का कय किया जाकर दिनांक 22.06.2004 को राशि रूपये 2,07,000/– का भुगतान किया गया । प्रमाणक से साथ संलग्न प्रपत्रो के जांच में पाया गया कि एल.जी. कम्पनी के ए.सी. कय डी.जी.एस.एण्ड डी. की दर पर कय किया जाना दर्शाया गया । परन्तु एल.जी. कम्पनी का ए.सी. कम्पनी

को निर्धारित दर से कम दर पर प्रदाय किया गया था कम्पनी दर से कम दर पर क्रय का आधार अस्पष्ट रहा । दर में निगोशिएशन संबंधी कोई भी अभिलेख उपलब्ध नही कराया गया । प्रदाय आदेश दिनांक 20.06.2004 को जारी किया यगा विवरण निम्नानुसार है –

क.	ए.सी. का मॉडल	बिल में भारित दर	कम्पनी दर
1	एल.डब्ल्यू एम –2466 बी.सी. 2 टन	01 नग 21,000/–प्रति नग	28490.00 प्रति नग
2	एल.पी.के. 3655 टी.टी. 3 टन	01 नग 5800/–प्रति नग	59000.00 प्रति नग
3	एल.एस.के. 2161 पी.टी.सी.एस.	02 नग 36,000/–प्रति नग	39490.00 प्रति नग
4	एल.एस.के. 1863 क्यू.सी.टी.एस.	02 नग 28,000/–प्रति नग	32490.00 प्रति नग

उपरोक्तानुसार स्पष्ट है कि सामग्री कम्पनी दर से कम दर पर प्रदाय किया गया है । इस प्रकार प्रदाय की गई ए.सी. की गुणवत्ता कम्पनी द्वारा निर्धारित मापदण्ड एवं गुणवत्ता के अनुसार प्रदाय की गई या नही, का तकनीकी विशेषज्ञ से सत्यापन कराया जाना अपेक्षित है ।
(पत्र कमांक 26 दिनांक 03.06.2008 द्वारा आक्षेप जारी)

13. एक ही बैंक खाते के दोहरा चैक बुक जारी रखना अनियमित –

सामान्य वित्तीय नियमों के अनुसार एक ही बैंक एकाउन्ट के दो चैक बुक समानान्तर में जारी रखना अनियमित है । परीक्षण में पाया गया कि वर्ष 2004–2005 में कार्पोरेशन बैंक के दो चैक बुक दिनांक 25.06.04 से 09.0804 तक विश्वविद्यालय के दो पदाधिकारियो द्वारा जारी किया गया था ।

(I) प्रो. जोश पी. वर्गीस पूर्व कुलपति पूर्व कुलपति द्वारा अपने पास पृथक से बैंक चैक बुक रखा गया था चैंक कमांक 297701 से 297745 तक चैंक दिनांक 25.06.2004 से 09.08.2004 तक की अवधि में जारी किया गया ।

(II) उक्त अवधि में विश्व विद्यालय के वित्त अधिकारी के माध्यम से कार्पोरेशन बैंक के उसी एकाउन्ट का चैक सीरिज 296901 से जारी किया जाना पाया गया ।

इस प्रकार एक ही बैंक खाते के दो चैक बुक समानान्तर दो प्राधिकारियों द्वारा एक ही समय में जारी किया जाना वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है । यद्यपि आगामी वित्तीय वर्षो में सुधार किया जा चुका है परन्तु भविष्य में इस प्रकर की अनियमितता न हो, इसका ध्यान रखा जाना अपेक्षित है ।

(पत्र कमांक 26 दिनांक 03.06.08 द्वारा आक्षेप जारी)

14. गैर शैक्षणिक कर्मचारियो को पद सृजन एवं वेतनमान स्वीकृति के अभाव में उच्च वेतनमान प्रदान, प्रशासकीय कार्यवाही अपेक्षित :–

अंकेक्षित अवधि के संपरीक्षा के दौरान पाया गया कि विश्व विद्यालय प्रशासन द्वारा निम्न विवरणानुसार गैर शैक्षणिक कर्मचारियो को बगैर पद सृजन एवं वेतनमान स्वीकृति के सहायक एवं अन्य पदो पर बगैर नियुक्ति के विधिवत कार्यवाही किये उच्चवेतन मान नियुक्ति दी गई । तदनुसार कर्मचारियो को वेतन भुगतान किया गया ।

विश्व विद्यालय की 6वी कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 03.09.05 के आयटम नम्बर 02 एनेक्चर नम्बर 2 (II) द्वारा शैक्षणिक पदो का सृजन किया गया । एवं एनेक्चर नम्बर 2(III) द्वारा स्टाफ रेगुलेशन तैयार किये जाने हेतु कमेटी गठन किया गया । फलस्वरूप "हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्टाफ रेगुलेशन 2005" तैयार किया जाकर विश्वविद्यालय कार्यपरिषद से अनुमोदन प्राप्त किया जाकर, कर्मचारियों की नियमित नियुक्ति, विधिवत कार्यवाही किया जाकर चयन समिति के माध्यम की गई । "हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्टाफ रेगुलेशन 2005" में अनुशंसित वेतनमान, पूर्व में जारी नियुक्ति आदेश में उल्लेखत वेतनमान से कम था ।

क	कर्मचारी का नाम, पदनाम	प्रथम नियुक्ति आदेश क. दि.	प्रथमनियुक्ति के आदेशानुसार वेतनमान	द्वितीय नियमित नियुक्ति आदेश क. दिनांक	नियमित नियुक्ति का वेतनमान
1	जी. संगीता राव सहायक	HNLU/VC/2/03 दि. 1.12.03	5500–9000	HNLU/VC/03 दि. 04.07.06	4000–6000
2	कबीश छाजेड़ सहायक	HNLU/KC/VC/02/03 दि. 1.11.03	5500–9000	HNLU/1983/06 दि. 04.07.06	4000–6000
3	धीरज रंगारी सहायक	HNLU/DR/2/VC/04 दि. 1.07.04	5500–9000	HNLU/1986/06 दि. 04.07.06	4000–6000
4	सुधीर कुजुर सहायक	HNLU/SK/2/VC/04 दि. 1.07.04	5500–9000	HNLU/1982/06 दि. 04.07.06	4000–6000
5	अपोलिना लकड़ा सहायक	HNLU/AL/2/VC/04 दि. 1.08.04	5500–9000	HNLU/1985/06 दि. 04.07.06	4000–6000

6	अनिल सिंह सहायक	HNLU/908/05 दि. 12.09.05	5500–9000	HNLU/1984/06 दि. 04.07.06	4000–6000
7	कैलाश सरोडे सहायक	HNLU/917/05 दि. 13.09.05	5500–9000	HNLU/1980/06 दि. 04.07.06	4000–6000
8	दिनेश लालवानी निज़ सचिव	HNLU/DKC/03/VC दि. 1.12.03	8000–13500	HNLU/3998/07 दि. 24.05.07	6500–10500
9	नीना राव सहायक	HNLU/N/05 दि. 13.09.05	5500–9000	HNLU/4002/07 दि. 24.05.07	4000–6000
10	आर.आर. साहू सहायक	HNLU/N/05/921 दि. 13.09.05	5500–9000	HNLU/4003/07 दि. 24.05.07	4000–6000

उपरोक्त में से कमांक 08 के कर्मचारी को छोड़कर शेष कर्मचारियों को निर्धारित नियुक्ति सहायक ग्रेड – 3 में की गई । इस प्रकार कर्मचारियो को विश्व विद्यालय प्रशासन द्वारा दो नियुक्ति आदेश जारी किया गया । फलस्वरूप द्वितीय नियमित नियुक्ति आदेश के तहत, पूर्व नियुक्ति आदेश में उल्लेखित उच्च वेतनमान से कम वेतनमान पर नियुक्ति दी गई । विश्वविद्यालय प्रशासन के प्रथम नियुक्ति आदेश अनुसार ही दर्शित वेतनमान पर नियुक्ति स्वीकर कर कार्यग्रहण किया जाकर तदनुसार वेतन प्राप्त किया गया । ऐसी स्थिति में प्रथम नियुक्ति दिनांक से द्वितीय नियुक्ति दिनांक तक की अवधि के नियमन एवं भुगतना राशि के संबध में कर्मचारी हित को दृष्टिगत रखते हुए विश्व विद्यालय प्रशासन द्वारा यथोचित निर्णस लिया जाना अपेक्षित है ।

(पत्र कमांक 27 दिनांक 04.06.2008 द्वारा आक्षेप प्रसारित)

15. अधिक भुगतान राशि रूपये 137878.00 की वसूली अपेक्षित :–

अंकेक्षण के दौरान वेतन पंजी के परीक्षण में पाया गया कि प्रतिवेदन की कंडिका (14) में कमांक 01 से 07 तक की अवधि में पूर्व नियुक्ति आदेश में उल्लेखित वेतनमान 5500–9000 के आधार पर ही वेतन भुगतान किया गया । जबकि द्वितीय नियमित नियुक्ति आदेश में दर्शित वेतनमान रूपये 4000–6000 के आधार पर दिनांक 04.07.2006 से वेतन भुगतान किया गया । विश्व विद्यालय प्रशासन द्वारा अधिक भुगतान राशि की गणना किया जाकर वेतन देयको से प्रतिमाह रूपये 1000/– वसूली की जा रही है । वर्षान्त 31 मार्च की 2008 की स्थिति में वसूली योग्य अवशेष राशि का विवरण निम्नानुसार है ।

क्र.	कर्मचारी का नाम, पदनाम	अवधि	वेतनमान जो दिया जाना था	वेतनमान जो दिया गया	गणनानुसार अधिक भुगतान	31 मार्च 08 तक वसूली	वसूली योग्य
1	श्रीमति जी. संगीता राव	04.07.06 से 31 मार्च 07	4000–6000	5500–9000	29910.00	–	29910.
2	श्री कवीश छाजेड़	04.07.06 से 31 मार्च 07	4000–6000	5500–9000	28884.00	11000.00	17884.
3	श्री धीरज रंगारी	04.07.06 से 31 मार्च 07	4000–6000	5500–9000	30517.00	11000.00	19517.
4	श्री सुधीर कुजुर	04.07.06 से 31 मार्च 07	4000–6000	5500–9000	30108.00	11000.00	19108.
5	कु. अपोलिना लकड़ा	04.07.06 से 31 मार्च 07	4000–6000	5500–9000	30009.00	11000.00	19009.
6	श्री अनिल सिंह	04.07.06 से 31 मार्च 07	4000–6000	5500–9000	27405.00	11000.00	16405.
7	श्री कैलाश सारोडे	04.07.06 से 31 मार्च 07	4000–6000	5500–9000	27045.00	11000.00	16045.
	योग						137878

उपरोक्तानुसार संबधित कर्मचारियो से अधिक भुगतान की शेष राशि वसूली किया जाना अपेक्षित है । कमांके 01 श्रीमति जी. संगीता राव द्वारा विश्वविद्यालय से नौकरी छोड दी गये है ऐसी स्थिति में अधिक भुगतान की वसूली के संदर्भ में विश्व विद्यालय प्रशासन द्वारा यथोचित निर्णय लिया जाना अपेक्षित है ।

16. बगैर निविदा/ कोटेशन आमंत्रण के सामग्री कय से तुलनात्मक दरो के लाभ से वंचित--

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वर्ष 2004–05 में एच.एन.एल.यू. द्वारा किसी भी प्रकार का कय नियम अंगीकार नही किया गया था फलस्वरूप सामान्य वित्तीय नियमों को दृष्टिगत रखते हुए कय की कार्यवाही किया जाना था जिसका अभाव पाया गया जिससे सामग्री कय में तुलनात्मक दरो के लाभ से वंचित होना पड़ा । सामान्य वित्त नियमानुसार –

(1) कय की जानेवाली सामग्री आवश्यक्ता प्रतिपादित की जाकर कय समिति से अनुमोदन प्राप्त किया जाकर प्रशासकिय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना चाहिए ।

(2) राशि रूपये 5000/– तक एकल निविदा, रूपये 5000 से अधिक 5000/– से अधिक कय हेतु निविदा आमंत्रित कर या डी.जी.एस.एण्ड़ डी. दर पर कय कार्यवाही किया जाना चाहिए ।

(3) निविदा/कोटेशन प्राप्त होने पर, गुणात्मक एवं तुलनात्मक दरो का विश्लेषण किया जाकर प्रदाय आदेश दिया जाना चाहिए था ।

(4) प्रदाय आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होन पर स्टांक पंजी में इद्रीज किया जाना चाहिए ।

विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा सामग्री कय के संबंध में कोटेशन स्वीकृति नस्ती सामग्री प्रदाय आदेश उपलब्ध नही कराया गया । प्राप्त सामग्री का तात्कालीन समय में स्टॉक बुक में दर्ज भी नही किया गया बाद में वर्ष 2005 में स्टाक दर्ज किया गया। अधिकांश प्रकरणो में स्थानीय बाजार से बगैर तिथि अंकित किये कोरम पूर्ति हेतु कोटेशन प्राप्त किया जाकर संलग्न किया गया वर्ष 2005–06 से आगामी वित्तीय वर्षो मे कय की विधिवत कार्यवाही की गई थी ।

(पत्र कमांक 26 दिनांक 03.06.2008 द्वारा आक्षेप जारी)

17. भवन किराया निर्धारण माप दण्ड का पालन न किये जाने से राशि रूपये 34200/– का अधिक भुगतान संभावित –

अंकेक्षण के दौरान भवन किराया नस्ती के परीक्षण में पाया गया कि जलविहार कालोनी का प्लॉट नम्बर ए–8 में 2325 वर्गफुट निर्मित क्षेत्र का भववन, संकाय सदस्यो हेतु राशि रूपये 6000/– प्रतिमाह किराये (विद्युत एवं जलप्रभार छोड़कर) लिया जाकर, दिनांक 1.02.04 से 31.08.05 तक 19 माह का किराया रूपये 114000/– भुगतान किया गया ।

पुनः वर्तमान कुलपति द्वारा उसी भवन का किराया निर्धारण में निगोशियेसन किया जाकर, दिनांक 01.09.05 से राशि रूपये 4200/– मासिक किराया निर्धारित किया जाकर भुगतान किया गया ।

इस प्रकार यदि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा किराये निर्धारण में किराये निर्धारण निर्देशो के अनुसार कार्यवाही के तहत निगोशियेसन की कार्यवाही की गई होती तो राशि रूपये 6000–4200=1800 प्रतिमाह की दर से 19 माह का रूपये 34200/– के अतिरिक्त भुगतान से बचा जा सकता था । प्रकरण पर यथोचित कार्यवाही अपेक्षित है ।

18. दैनिक वेतन कर्मचारियों को बगैर सक्षम स्वीकृति के कलेक्टर दर से अधिक भुगतान –

अंकेक्षण के दौरान लेखाओं के परीक्षण में पाया गया कि विश्व विद्यालय के कार्य संचालन हेतु चालक, चौकीदार, विद्युतकार दैनिक वेतन पर रखे गये थे । प्रकरण में चालक को रूपये 180 प्रतिदिन (25 दिन का) चौकिदार को रूपये 120/– प्रतिदिन विद्युतकार रूपये 180 प्रतिदिन एवं गेस्ट हाऊस चौकीदार रूपये 80 प्रतिदिन की दर पर रखा जाकर भुगतान किया गया । जो तत्कालीन कलेक्टर दर से अधिक था । सामान्य वित्तीय नियमों के अनुसार कार्य की आवश्यक्ता प्रतिपादित किया जाकर कार्य पर रखे गये श्रमिको को कार्यपर रखने की स्वीकृति वित्त समिति एवं वि.वि. कार्य परिषद से अनुमोदन प्राप्त किया जाकर, 59–59 दिवस के लिए कलेक्टर दर पर रखा जाना था । परन्तु विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा उपरोक्तानुसार कार्यवाही किया जाना नही पाया गया । उपरोक्त अनियमितता की आरे वि.वि. प्रशासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । भविष्य में तदनुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है ।

(पत्र कमांक

19. लायब्रेरी हेतु पुस्तक कय रूपये 9,41,835.75

अंकेक्षण के दौरान वर्ष 2004–05 के भुगतान प्रमाणको के परीक्षण में पाया गया कि दिनांक 26.04.2004 को मेसर्स एम.पी. हाऊस बैंगलोर को लायब्रेरी हेतु पुस्तक कय किया जाकर, राशि रूपये 9,41,835.75 का भुगतान किया गया । परन्तु सामान्य वित्तीय एवं कय नियमों का पालन किया जाना नही पाया गया ।

(1) कय की जाने वाली पुस्तको हेतु संबधित फेकल्टी से मांग पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए एवं कय की जाने वाली पुस्तको के कय हेतु कय समिति से अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए था।

(2) पुस्तक प्रकाशनकर्ताओं से पुस्तकों की दर सूचि प्राप्त कर, पुस्तकों का चुनाव किया जाकर, मूल्य दर सूचि में छूट आदि के संबध में निगोशियेसन की कार्यवाही की जानी चाहिए थी । सामान्यतः 20 से 30 प्रतिशत की छूट प्रकाशको द्वारा दी जाती है ।

(3) मूल्य सूचि दर के आधार पर कय की जाने वाली पुस्तकों को कुल राशि की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त किया जाकर, नियमानुसार प्रदाय आदेश जारी किया जाना चाहिए था ।

(4) आदेशित पुस्तके प्राप्त होने पर पुस्तकों में नम्बरिंग किया जाकर स्टॉक पंजी में दर्ज किया जाना चाहिए ।

उपरोक्त कार्यवाही विश्व विद्यालय के आर्थिक हित मे किया जाना नही पाया गया यहां तक की तत्कालीन समय में स्टॉक इन्ट्रीज भी नही किया गया स्टॉक बुक में वर्ष 2005 में इन्ट्रीज किया गया । वर्ष 2005–06 से सामान्य कय नियमों का पालन सुनिश्चित किया गया था ।

20. बिलासपुर सेन्टर के अभिलेख अप्राप्त :– अंकेक्षण में पाया गया कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा वि. वि. कार्यपरिषद के निर्णयअनुसार बिलासपुर में सेंटर स्थापित किया गया था, जिसके संचालन हेतु प्रतिमाह मांग अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा राशि प्रेषित की जाती है । बिलासपुर सेंटर द्वारा राशि के समर्थन में व्यय प्रमाणक आदि विश्वविद्यालय की ओर प्रषित किया जाना नही पाया गया फलस्वरूप विश्व विद्यालय द्वारा, बिलासपुर सेंटर को प्रेषित समस्त राशि अग्रिम के रूप में बेलेन्स शीट में दर्शाया गया है कि अपेक्षित अवधि में प्रेषित राशि का विवरण निम्नानुसार है –

(1) वर्ष 2004–05	राशि रूपये	1594623.00
(2) वर्ष 2005–06	राशि रूपये	1663967.00 (1,00,000/– फीस की राशि प्राप्त)
(3) वर्ष 2006–07	राशि रूपये	1961466.00
(4) वर्ष 2007–08	राशि रूपये	9,22,773.00

अतः उपरोक्त अग्रिम दी गई राशि के विरूद्ध भुगतान प्रमाणक अभिलेख प्राप्त किया जाकर वास्तविक कय परीक्षणोपरान्त विश्वविद्यालय निधि में व्यय भारित किया जाकर, अग्रिम किया जाना अपेक्षित है ।

21. विश्व विद्याय कर्मचारियों के वेतन से ई.पी.एफ. अंशदान कटौती का अभाव :–

अंकेक्षण के दौरान वेतन पंजी के परीक्षण में पाया गया कि विश्व विद्यालय कर्मचारियों के वेतन से ई.पी.एफ. अंशदान की कटौती नही की गई थी और न ही विश्व विद्यालय अंशदान ही जमा किया गया था जबकि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अनुसार जिस संस्था में 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत है उनके वेतन से नियमानुसार ई.पी.एफ. की कटौती किया जाना चाहिए तथा संस्था का अंशदान भी कर्मचारी के ई.पी.एफ. खाते में जमा किया जाना चाहिए । विश्व विद्यालय स्टाफ रेगुलेशन 2005 के अध्याय IV कंड़िका 24 के अनुसार कर्मचारियो के लिए अंशदायी भविष्य निधि स्कीम लागू किये जाने हेतु स्वीकृति दी गई है । फलस्वरूप माह जुलाई 2007 से ई.पी.एफ. कटौती की जाकर जमा किया जा रहा है । पूर्व अवधि के लिए निर्णय लिया जाना अपेक्षित है ।

22. अग्रिम :– विश्वविद्यालय द्वारा अंकेक्षित अवधि में विभिन्न कार्यो से दी गई अग्रिमो हेतु अग्रिम लेजर पंजी संधारित किया गया था । जिसमें से दी गई अग्रिम मे से समायोजित या वापस की गई अग्रिम राशि को घटाया जाकर वर्षान्त 31 मार्च 2008 को शेष दर्शाया गया था । वर्षान्त 31 मार्च 2008 की स्थिति में असमायोजित अग्रिम/प्राप्य योग्य राशि रूपये 10,06,859/– अवशेष था । विस्तृत विवरण परिशिष्ठ कमांक (01) पर अवलाकनीय है । बकाया अग्रिम वसूली/समायोजन यथा शीघ्र कराया जाना अपेक्षित है ।

23. अमानत एवं सुरक्षित निधि वापसी योग्य – वर्षान्त 31 मार्च 2008 की स्थिति में कौशन मनी, अमानत, सुरक्षित निधि, अतिरिक्त जमा फीस की जमा राशि रूपये 1,44,59,315.00 वापसी योग्य अवशेष है, जिसे यथा समय वापस किया जाना अपेक्षित है ।

24. अमानत एवं अग्रिम जमा (सम्पत्ति) :– विश्व विद्यालय द्वारा विभिन्न उद्देश्यो हेतु विद्युत मण्डल को कनेक्शन हेतु एवं किराये पर लिए गये हास्टल एवं संकाय सदस्यो हेतु अग्रिम किराये के रूप में राशि रूपये 37,51,266/– जमा कराया गया था ।

25. विशिष्ठ प्रयोजनार्थ अनुदान :– विश्व विद्यालय को अंकेक्षित अवधि में विश्व विद्यालय भवन परिसर निर्माण, बिलासपुर सेंटर भवन निर्माण एवं जस्टिज एम. हिदायतुल्ला जन्म शताब्दी समारोह हेतु छ.ग. शासन विधि एवं विधिक कार्य विभाग से तथा जनरल डेबलेपमेंट असिस्टेन्स स्कीम के तहत तथा लायब्रेरी हेतु पुस्तक तथा विकास कार्य हेतू यूनिवर्सीटी ग्रांट कमीशन से विशिष्ट प्रयोजनार्थ अनुदान राशि उसी मद में व्यय की गई जिस मद हेतु प्राप्त हुआ था वि.वि. द्वारा समय–समय पर प्राप्त अनुदान व्यय कर शासन को उपयोगित प्रमाणपत्र प्रेषित किया गया था।

31 मार्च 2008 की स्थिति में राशि रूपये 14,73,43,812/– अव्ययीत अनुदान शेष था । अतः अव्ययीत अनुदान राशि व्यय की जाकर अथवा शासन का वापास किये जाने हेतु ध्यान आकृष्ट किया जाता है । अनुदान का विस्तृत विवरण परिशिष्ठ कमांक (02) पर अवलोकनीय है ।

26. लेखे की स्थिति :– वित्तीय वर्ष 2004–05 में लेखे की स्थिति संतोष जनक नही थी । निकाय द्वारा सामान्य वित्तीय नियमानुसार आवश्यक अभिलेख संधारित नही किया गया था सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख केशबुक भी निर्धारित प्रारूप में पंजी के रूप में संधारित नही किया गया था समस्त व्यवहार कम्प्यूटर पर रखे गये थे । जो कभी भी संशोधित या निरस्त किये जा सकते है । निकाय द्वारा स्टॉक पंजी, डेड स्टॉक पंजी अचल सम्पत्ति पंजी, डाक बुक, एवं अग्रिम पंजी जैसे महत्वपूर्ण अभिलेख संधारित नही किया गया था ।

(I) दिनांक 19.11.2004 से मेन्यूवल केशबुक संधारित किया गया था परन्तु केशबुक में भुगतान प्रमाणक कमांक एवं दिनांक दर्शित नही किया गया था, भुगतान प्रमाणक भी व्यवस्थित ढंग से संधारित नही किया गया था ।

(II) विश्व विद्यालय में दोहरालेखा प्रणाली अपना गया था परन्तु नगद व्यवहार एवं चैक व्यवहार हेतु पृथक–पृथक केशबुक संधारित किया गया था ।

(III) वित्तीय वर्ष 2005–06 से आगामी वर्षो हेतु केशबुक एवं अन्य आवश्यक अभिलेख संधारित किया गया था पूर्व वर्षो की अपेक्षा अभिलेख संधारण एवं लेखांकन में काफी सुधार किया गया था । विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष आंतरिक अंकेक्षक से अकेक्षण कराया जाना पाया गया। वर्ष 2005–06 से वित्तीय नियमो का पालन किया गया एवं उक्त अवधि में मितव्ययता बरती गई । वर्तमान में लेखे की स्थिति संतोषजनक पाई गई ।

27. आर्थिक स्थिति :– वित्तीय वर्ष 2004–05 में संस्थसा की वित्तीय स्थिति संतोष जनक नही थी । पूर्ववर्ती कुलपति द्वारा सामान्य वित्तीय नियमों का पालन न किये जाने, एवं वित्तीय मानक सिद्धातों का पालन न किये जाने से संस्था ऋणग्रस्त/ओवरड्राफ्ट की स्थिति में आ चुकी थी । वित्तीय वर्ष 2005–06 से संस्था के आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आया। वर्तमान कुलपति की कार्यशैली एवं शासन के सहयोग से वर्तमान में वि.वि. की आर्थिक स्थिति संतोषजनक पाई गई । अन्य संस्थाओ की अपेक्षा वि.वि. आय के सीमित साधन होने के फलस्वरूप वि.वि. के विकास को दृष्टिगत रखते हुए पद सृजन, वेतन भुगतान, ई. पी.एफ, ग्रेच्युटी आदि के लिए शासन से अनुदान प्राप्त करने का प्रयास करना वि.वि. के आर्थिक हित में अपेक्षित है ।

वर्षान्त 31 मार्च 2008 की स्थिति में आर्थिक स्थिति दर्शाने वाला चल सम्पत्ति एवं दायित्व पत्रक परिशिष्ठ कमांक 03 पर अवलोकनीय है ।

28. अंकेक्षण शुल्क :– अंकेक्षित अवधि वर्ष 2004–05 से 2007–08 के वास्तविक आय के आधार पर अंकेक्षण शुल्क की संशोधित दरो के आधार वर गणना की जाकर , राशि रूपये 5,51,443.00 अंकेक्षण शुल्क भारित किया गया । भारित अंकेक्षण शुल्क की राशि जमा किये जाने हेतु अंकेक्षण शुल्क स्मृति पत्रक, पत्र कमांक 30 दिनांक 05.06.08 द्वारा प्रसारित किया गया । भारित अंकेक्षण शुल्क की राशि निम्न निर्धारित लेखा शीर्ष में

0070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं

60 अन्य सेवाएं

110 सरकारी लेखापरीक्षा फीस (स्थानीय निधि संपरीक्षा फीस)

चालान द्वारा जमा किया जाकर चालन की मूलप्रति सत्यापन हेतु उपसंचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा रायपुर की ओर प्रेषित करने का कष्ट करें ।

29. सम्परीक्षा प्रतिवेदन भाग–दो – यथा योग्य आक्षेप न होने से संपरीक्षा प्रतिवेदन भाग –दो पृथक से तैयार नही किया गया ।

Sd–
(बी.एस.भगत)
उपसंचालक
स्थानीय निधि संपरीक्षा
रायपुर (छ.ग.)

Sd–
(एस.एस. ताण्डेय)
सहायक संचालक
स्थानीय निधि संपरीक्षा
रायपुर (छ.ग.)

Sd–
(गोविन्द सिंह)
सीनीयर आडीटर
स्थानीय निधि संपरीक्षा
रायपुर (छ.ग.)

प्रसारित
उप संचालक
स्थानीय निधी संपरीक्षा
रायपुर (छत्तीसगढ़)

वर्षान्त 31 मार्च 2008 की स्थिति में बनाया गया अग्रिमों की सूची

परिशिष्ट कमांक – 01

परिशिष्ट कमांक – 22

क.	फर्म / कर्मचारी का नाम	राशि
1	श्री आदर्श वर्गीस	50,000.00
2	श्री वी. अरविन्द	48711.00
3	श्री देवा ज्योति दास	47747.00
4	श्री जे. पार्थ सारथी	50000.00
5	श्री नेल स्टीफन	35000.00
6	कु. प्रियंका द्वादस	47748.00
7	श्री आनन्द पवार	4500.00
8	श्री अनिल सिंह	22405.00
9	श्री अशोक राना	750.00
10	श्री धीरज रंगारी	20571.00
11	श्री कैलाश सरोडे	24906.00
12	श्री कवीस छाजेड	18884.00
13	श्री एम.के. ठाकरे	5000.00
14	श्री एस शांता कुमार	19250.00
15	श्री सुधीर कुजुर	20108.00
16	श्री उदय शंकर	23163.00
17	श्री व्ही.एस. चौबे	10000.00
18	अपोलिना लकड़ा	20009.00
19	गीता पाल	1500.00
20	नीना राव	16000.00
21	न.नि. रायपुर	1000.00
22	श्री एस.के. दोषी	300.00
23	श्री एस.के. वर्मा	100.00
24	श्री टी. वर्के	65.00
25	श्री ए.के.दुबे	341216.00
26	श्री ए. श्रीनिवास राव	5501.00

27	श्री दीपक कुमार	750.00
28	श्री गोवर्धन सिंह नेताम	1815.00
29	श्री जे.के. गोयल	5000.00
30	श्री सतीश पवार	24000.00
31	श्री सत्येन्द्र कुजुर	25820.00
32	पी.डब्ल्यू. डी.	40.00
33	गर्ल हास्टल वार्डन	15000.00
34	श्री बिसनाथ कुर्रे	100000.00
	योग	10,06,859.00

परिशिष्ट क्रमांक–02

अनुदान का विवरण

कंडिका क्रमांक –25

1. वर्ष 2004–05

क्र.	अनुदान का उद्देश्य	अनु. स्वीकृतिकर्ता विभाग का नाम आदेश क्र.	चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त अनुदान	विगत वर्ष का बकाया		कुल अनुदान	अनुदान पेटे व्यय	कुल व्यय	31 मार्च वर्षान्त को शेष	वर्ष के दौरान वापसी	
				वर्ष	राशि					चालान क्र.	राशि
1	ओवरड्राफ्ट एवं टर्नलोन समाप्त करने बाबत्	छ.ग. शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग पत्र क्रमांक 2067 दि. 22.03.05	1,24,10,000	–	–	12410000.00	12410000.00	12424302.00	निरंक	–	–

2. वर्ष 2005–06

1	वि.वि. भवन निर्माण	छ.ग. शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग पत्र क्रमांक 8612 दि. 09.11.05	10.00 करोड़	–	–	10.00 करोड़	–	–	10.00 करोड़	–	–
2	जस्टिज एम. दायतुल्ला जन्म ताब्दी समारोह	छ.ग. शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग पत्र क्रमांक 8612 दि. 09.11.05 पत्र क्र.	10 लाख	–	–	10 लाख	275014	275014	724,986	–	–

नोट – वर्ष 2004–05 में वि.वि. नवीन भवन निर्माण हेतु शासन से प्राप्ति की प्रत्याशा में ठेकेदार को राशि रूपये 32,00,000/– अग्रिम भुगतान किया गया था तत्पश्चात 31 मार्च 2006 को भवन निर्माण में प्राप्त आबंटन से घटाने पर रूपये 9,68,00,000/– शेष बचेगा ।

क्र	अनुदान के उद्देश्य	अनुदान स्वीकृतकर्ता विभाग का नाम आदेश क्रं.	चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त अनुदान	विगत वर्ष का बकाया		कुल अनुदान	अनुदान पेटे व्यय	कुल व्यय	31 मार्च वर्षान्त को शेष	वर्ष के दौरान वापसी	
				वर्ष	राशि					चालान क्र.	राशि
1	वि.वि. नवीन भवन निर्माण	छ.ग. शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग	10.00 करोड़	05. 06	96800000	19,68,00,000	114133436	114133436	82666564	—	—
2	वि.वि. के बिलासपुर सेंटर हेतु भवन निर्माण	छ.ग. शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग पत्र कमांक 2882 दि. 28.03.07	4.50 करोड़	—	—	4,50,00,000	—	—	4,50,00,000	—	—
3	जस्टिज एम. हिदायतुल्ला जन्म शताब्दी समारोह	छ.ग. शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग पत्र कमांक 343 दि. 08.1.07	25 लाख	05— 06	724986	32,24,986	19,90,824	19,90,824	12,34,162	—	—
4	जनरल डेवेलपमेन्ट असिस्टेनस स्कीम	यू.जी.सी. पत्र कमांक डी10 / NO / F / 73 / सी.जी.जी. / 24.08. 06 22.06.06 10.01.07	.56 लाख 50 लाख 10.50 लाख	—	—	11650000	11650000	11650000	निरंक	—	—
								योग	128546564		

(२८)

क्र.	अनुदान का उद्देश्य	अनु. स्वीकृतकर्ता विभाग का नाम आदेश क्रं.	चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त अनुदान	विगत वर्ष का बकाया		कुल अनुदान	अनुदान पेटे व्यय	कुल व्यय	31 मार्च वर्षान्त को शेष	वर्ष दौरान वापसी	
				वर्ष	राशि					चालान क्र.	राशि
1	वि.वि. नवीन भवन निर्माण	शासन विधि एवं विधायी विभाग 8322/26.09.07/16.08.07	10.00 करोड 10.00 करोड़	06.07	82666564	282666564	183705267	183705267	98961297	—	—
2	बिलासपुर सेंटर भवन निर्माण	छ.ग. शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग पत्र कमांक 2882 दि. 28.03.07	10.00 करोड़	06—07	45000000	4,50,00,000	—	—	4,50,00,000	—	—
3	जस्टिज एम. हिदायतुल्ला जन्म शताब्दी समारोह	छ.ग. शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग पत्र कमांक 343 दि. 08.1.07	10.00 करोड	06—07	1234162	1234162	—	—	12,34,162	—	—
4	अति. कमरा निर्माण	छ.ग. शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग पत्र कमांक 4784/21/स्था. 07 दि. 02.06.07	16.42 लाख	—	—	16,42,000	—	—	16,42,000	—	—

27

	[illegible] ग्रांट लायब्रेरी पुस्तक	[illegible]/2/06 10 मार्च 08 एफ 87/12.09.07 एफ 17/25.09.07	[illegible] लाख 13.17 लाख			[illegible] 7,00,000 13,17,000	[illegible] 7,00,000 8,10,647	[illegible] 7,00,000 8,10,647	[illegible] निरंक 506353		
								योग	147343812.00		

हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय

रायपुर की वर्षान्त 31 मार्च 2008 की स्थिति में

परिशिष्ठ क. 03

कंड़िका कमांक 27

चलसम्पत्ति एवं दायित्व दर्शाने वाला पत्रक

क.	चलसम्पत्ति	राशि	क.	दायित्व	राशि
1	नगद शेष	1080.00	1	अमानत एवं सुरक्षानिधि वापसी	1,44,59,315.00
2	बैक शेष	1,91,31,168.00	2	बकाया अनुदान	14,73,43,812.00
3	विनियोजन	24,16,81,457.00	3	सम्पत्ति का दायित्व पर आधिक्य	10,37,68,703.00
4	अग्रिम	10,06,859.00			
5	अमानत (जमा)	37,51,266.00			
	योग	26,55,71,830.00		योग	26,55,71,830.00

A-2

(20)

Mahindra Bus - CG-04/D-7782

Year	Amount (Rs.)
2003-04	760
2004-05	11432
2005-06	12771
2006-07	19576
2007-08	88997
	133536

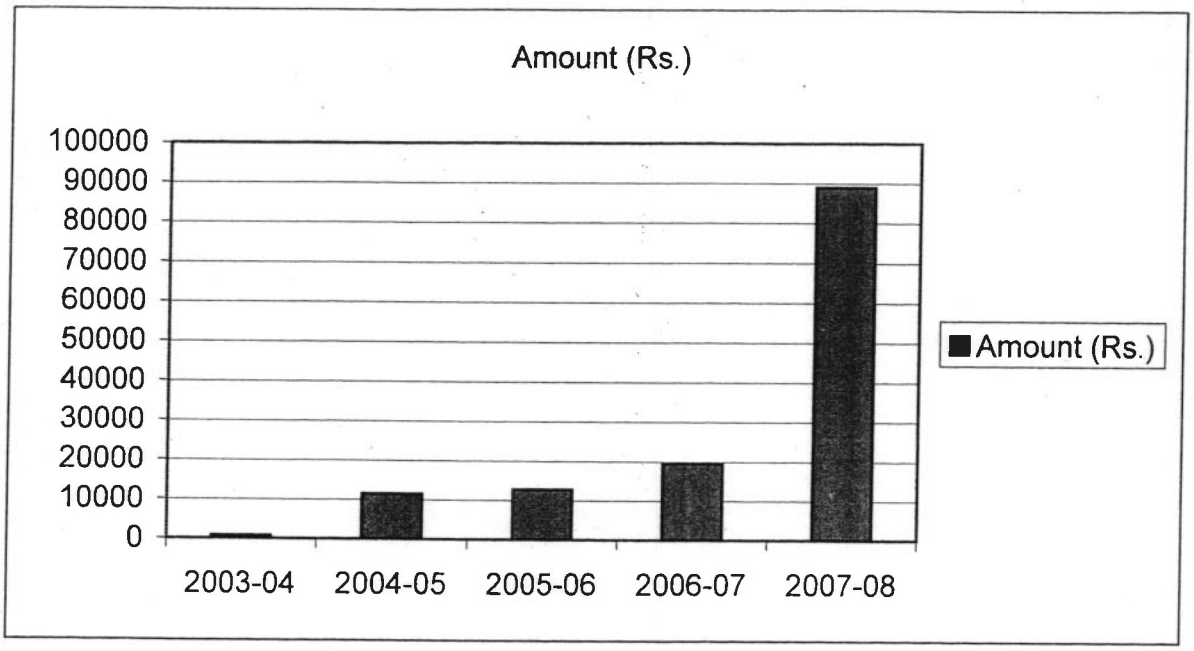

A-2

(b)

Tata Bus - CG-04/D-3905

Year	Amount (Rs.)
2003-04	800
2004-05	26995
2005-06	22155
2006-07	38877
2007-08	63836
	152663

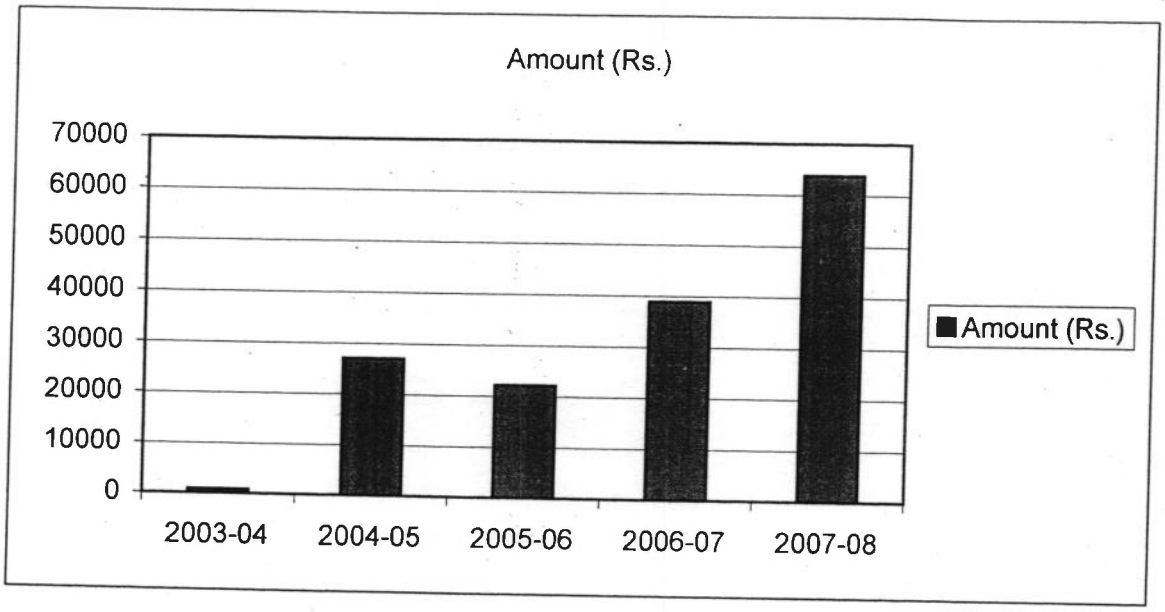

A-2
(E)

Indica - CG-04/B-6422

Year	Amount (Rs.)
2004-05	3149
2005-06	5746
2006-07	6366
2007-08	14184
	29445

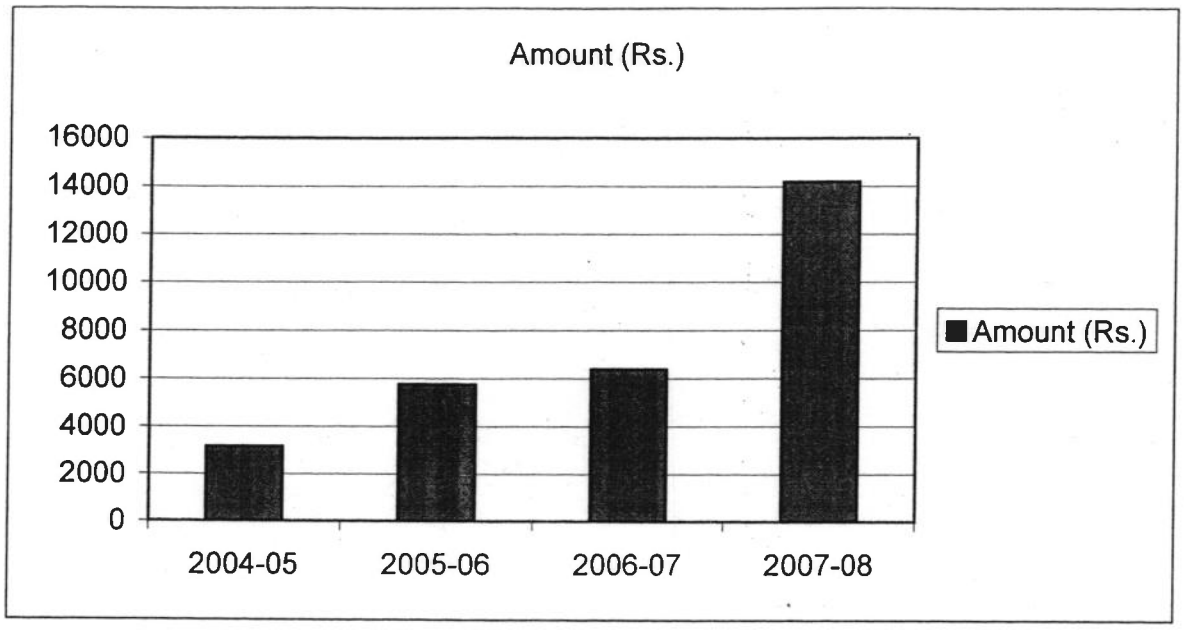

A-2
(a)

Bolero - CG-04/H-0334

Year	Amount (Rs.)
2005-06	75912
2006-07	23772
2007-08	74790
	174474

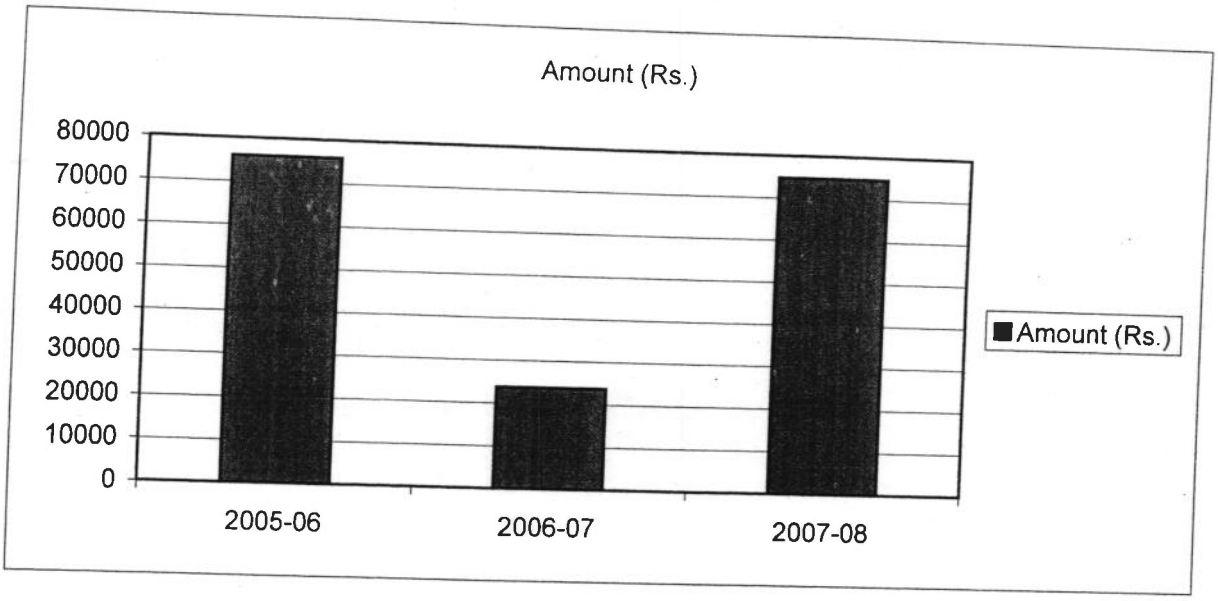

A-2
(e)

Ford Icon - CG-04/B-7298

Year	Amount (Rs.)
2003-04	18778
2005-06	12108
2006-07	6220
2007-08	20384
	57490

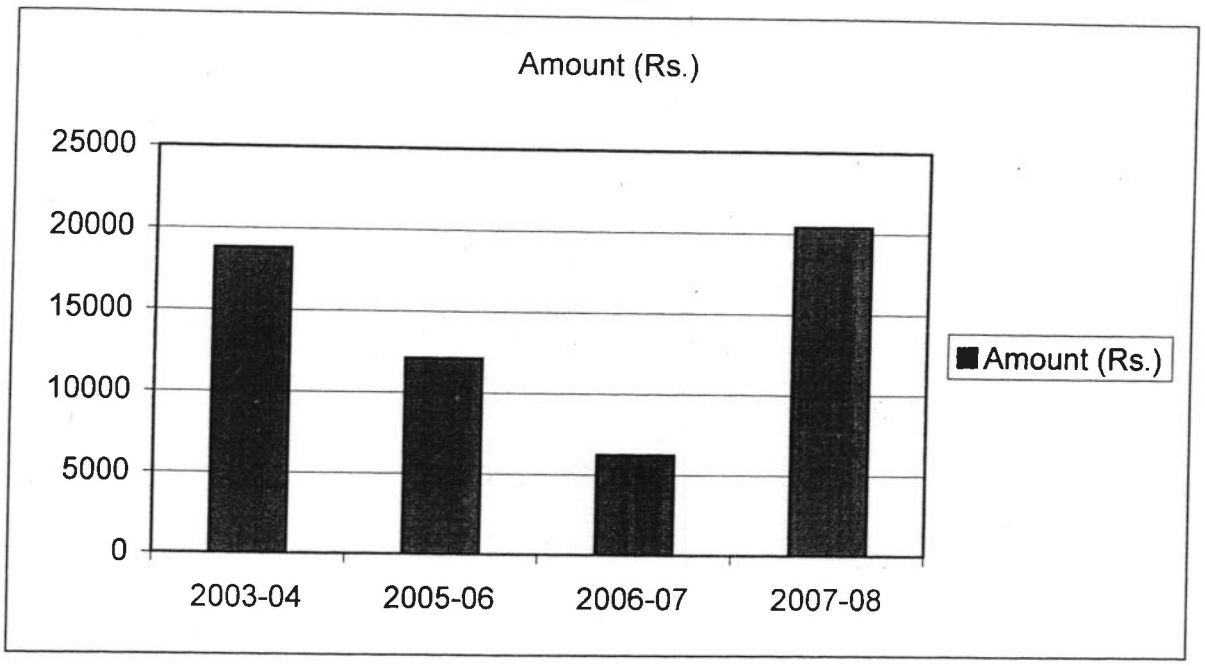

A-3

Hidayatullah National Law University, Raipur (C.G.)

Period: 01.04.2008 to 30.09.2008 (last 6 months)

Vehicle	Km. Running		Total Kms.	Total Fuel Consumed (Ltrs.)	Mileage
	From	To			
Bus, CG-04/D-3905	87375	96742	9367	2023	4.63
Bus, CG-04/D-7782	58851	66985	8134	1227	6.63
Jeep, CG-04/H-0334	65481	72860	7379	540	13.66
Car, CG-04/B-7298	52300	57715	5415	572	9.46
Car, CG-04/B-6422	34146	38930	4784	570	8.39

10/10/08

Section Officer (Estt.)

A-4

Vehicle	Company	Regd.No.	Date of purchase	Rate of depreciation p.a.	Cost of vehicle	Dep. during 2003-04	W.D.V. as on 1.4.2004	Dep. during 2004-05	W.D.V. as on 1.4.2005	Dep. during 2005-06	W.D.V. as on 1.4.2006	Dep. during 2006-07	W.D.V. as on 1.4.2007	Dep. during 2007-08	W.D.V. as on 1.4.2008	Dep. During 2008-09 (10%)	W.D.V. as on 1.10.2008
Car	Ford Ikon	CG-04/B-7298	23.02.2004	20%	658269		658269	131654	526615	105323	421292	84258	337034	67407	269627	26963	**242664**
Car	Tata Indica	CG-04/B-6422	12.02.2004	20%	343160		343160	68632	274528	54906	219622	43924	175698	35140	140558	14056	**126503**
Jeep	Mahindra Bolero	CG-04/H-0334	08.03.2004	20%	485000		485000	97000	388000	77600	310400	62080	248320	49664	198656	19866	**178790**
Bus	Mahindra Bus	CG-04/D-7782	01.07.2004	20%	688384		688384	137677	550707	110141	440566	88113	352453	70491	281962	28196	**253766**
Bus	Tata Bus	CG-04/D-3905	07.07.2003	20%	778389	77839	700550	140110	560440	112088	448352	89670	358682	71736	286945	28695	**258251**